

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025

संख्या:-पीआरपीबी-बी(होमगार्ड संवर्ग)-02/2025

दिनांक-नवम्बर 18, 2025

1. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होम गार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के कुल 41424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अध्याचन प्राप्त हुआ है।
 - 1.1 उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुये होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाये जाने पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जायेगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर रू0 600/- ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है।
 - 1.2 होमगार्ड्स के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-
 - 1.3 **(क) होमगार्ड्स के एनरोलमेंट (पुरुष/महिला) हेतु जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण :-**

क्र0सं0	जनपद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रिक्तियों की संख्या
1	आगरा	495	258	24	332	123	1232
2	फिरोजाबाद	196	101	9	130	48	484
3	मैनपुरी	155	80	7	103	38	383
4	मथुरा	198	102	9	132	48	489
5	अलीगढ़	342	179	17	230	85	853
6	एटा	134	69	6	88	32	329
7	हाथरस	201	103	9	133	49	495
8	कासगंज	123	62	5	80	29	299
9	बरेली	306	159	15	205	76	761
10	बदायूँ	254	132	12	169	62	629
11	पीलीभीत	182	94	9	121	45	451
12	शाहजहाँपुर	289	151	14	194	72	720

13	मेरठ	278	144	13	185	68	688
14	गाजियाबाद	42	21	2	27	10	102
15	बुलन्दशहर	266	139	13	179	66	663
16	बागपत	90	45	4	58	21	218
17	हापुड	109	56	5	72	26	268
18	गौतमबुद्ध नगर	170	88	8	113	42	421
19	मुरादाबाद	186	97	9	124	46	462
20	रामपुर	154	80	7	103	38	382
21	अमरोहा	143	74	7	95	35	354
22	बिजनौर	231	120	11	154	57	573
23	सम्भल	225	117	11	151	56	560
24	सहारनपुर	236	123	11	158	58	586
25	मुजफ्फरनगर	161	82	7	106	39	395
26	शामली	125	64	6	82	30	307
27	अयोध्या	182	94	9	122	45	452
28	बाराबंकी	247	129	12	166	61	615
29	सुल्तानपुर	222	115	11	148	55	551
30	अम्बेडकरनगर	175	91	8	117	43	434
31	अमेठी	182	95	9	122	45	453
32	चित्रकूट	99	50	4	65	24	242
33	हमीरपुर	138	71	6	91	34	340
34	बौदा	194	101	9	129	48	481
35	महोबा	46	23	2	29	11	111
36	गोण्डा	332	173	16	223	82	826
37	बहराइच	266	138	13	177	65	659
38	बलरामपुर	222	115	11	148	55	551
39	श्रावस्ती	90	46	4	59	22	221
40	झाँसी	184	95	9	123	45	456
41	ललितपुर	78	39	3	50	18	188
42	जालौन	176	90	8	116	43	433
43	कानपुर नगर	782	408	38	525	194	1947
44	कानपुर देहात	154	79	7	102	38	380
45	इटवा	197	101	9	130	48	485
46	फतेहगढ़	169	88	8	113	42	420
47	कन्नौज	129	67	6	86	32	320
48	औरैया	135	69	6	89	33	332

49	लखनऊ	550	287	27	370	137	1371
50	हरदोई	430	225	21	289	107	1072
51	सीतापुर	373	194	18	250	92	927
52	रायबरेली	190	99	9	127	47	472
53	खीरी	254	132	12	169	62	629
54	उन्नाव	298	154	14	199	73	738
55	आजमगढ़	348	182	17	234	86	867
56	मऊ	130	66	6	85	31	318
57	बलिया	283	147	14	190	70	704
58	बरती	218	112	10	144	53	537
59	सिद्धार्थनगर	170	87	8	113	41	419
60	संतकबीर नगर	102	52	5	68	25	252
61	गोरखपुर	333	174	16	224	83	830
62	कुशीनगर	251	131	12	168	62	624
63	देवरिया	268	140	13	180	66	667
64	महाराजगंज	186	97	9	124	46	462
65	मिर्जापुर	193	99	9	128	47	476
66	भदोही	19	9	0	11	4	43
67	सोनभद्र	101	52	5	67	25	250
68	प्रयागराज	490	255	24	329	121	1219
69	फतेहपुर	235	122	11	157	58	583
70	प्रतापगढ़	292	152	14	196	72	726
71	कौशाम्बी	118	60	5	78	29	290
72	वाराणसी	403	210	20	271	100	1004
73	गाजीपुर	279	145	13	187	69	693
74	जौनपुर	360	189	18	243	90	900
75	चन्दौली	141	73	7	94	35	350
योग:-							41424

(ख) होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्ष क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण का विवरण :-

क्र०सं०	नाम जनपद	रिक्तियों की संख्या	क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण		
			स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	महिला 20%
1	आगरा	1232	24	61	246
2	फिरोजाबाद	484	9	24	96
3	मैनपुरी	383	7	19	76
4	मथुरा	489	9	24	97
5	अलीगढ़	853	17	42	170
6	एटा	329	6	16	65
7	हाथरस	495	9	24	99
8	कासगंज	299	5	14	59
9	बरेली	761	15	38	152
10	बदायूँ	629	12	31	125
11	पीलीभीत	451	9	22	90
12	शाहजहाँपुर	720	14	36	144
13	मेरठ	688	13	34	137
14	गाजियाबाद	102	2	5	20
15	बुलन्दशहर	663	13	33	132
16	बागपत	218	4	10	43
17	हापुड	268	5	13	53
18	गौतमबुद्ध नगर	421	8	21	84
19	मुरादाबाद	462	9	23	92
20	रामपुर	382	7	19	76
21	अमरोहा	354	7	17	70
22	बिजनौर	573	11	28	114
23	सम्भल	560	11	28	112
24	सहारनपुर	586	11	29	117
25	मुजफ्फरनगर	395	7	19	79
26	शामली	307	6	15	61
27	अयोध्या	452	9	22	90
28	बाराबंकी	615	12	30	123
29	सुल्तानपुर	551	11	27	110

30	अम्बेडकर नगर	434	8	21	86
31	अमेठी	453	9	22	90
32	चित्रकूट	242	4	12	48
33	हमीरपुर	340	6	17	68
34	बोंदा	481	9	24	96
35	महोबा	111	2	5	22
36	गोण्डा	826	16	41	165
37	बहराइच	659	13	32	131
38	बलरामपुर	551	11	27	110
39	श्रावस्ती	221	4	11	44
40	झाँसी	456	9	22	91
41	ललितपुर	188	3	9	37
42	जालौन	433	8	21	86
43	कानपुर नगर	1947	38	97	389
44	कानपुर देहात	380	7	19	76
45	इटवा	485	9	24	97
46	फतेहगढ़	420	8	21	84
47	कन्नौज	320	6	16	64
48	औरैया	332	6	16	66
49	लखनऊ	1371	27	68	274
50	हरदोई	1072	21	53	214
51	सीतापुर	927	18	46	185
52	रायबरेली	472	9	23	94
53	खीरी	629	12	31	125
54	उन्नाव	738	14	36	147
55	आजमगढ़	867	17	43	173
56	मऊ	318	6	15	63
57	बलिया	704	14	35	140
58	बस्ती	537	10	26	107
59	सिद्धार्थनगर	419	8	20	83
60	संतकबीर नगर	252	5	12	50
61	गोरखपुर	830	16	41	166
62	कुशीनगर	624	12	31	124
63	देवरिया	667	13	33	133
64	महराजगंज	462	9	23	92

65	मिर्जापुर	476	9	23	95
66	भदोही	43	0	2	8
67	सोनभद्र	250	5	12	50
68	प्रयागराज	1219	24	60	243
69	फतेहपुर	583	11	29	116
70	प्रतापगढ़	726	14	36	145
71	कौशाम्बी	290	5	14	58
72	वाराणसी	1004	20	50	200
73	गाजीपुर	693	13	34	138
74	जौनपुर	900	18	45	180
75	चन्दौली	350	7	17	70

- 1.4 परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2. पात्रता:—

- 2.1 शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 2.2 होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो।

टिप्पणी:—

उक्त बिन्दु संख्या-2.2 के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 1846/पन्चानबे-2025-08प्रक्रीण/2012 दिनांक 16-11-2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमीसाईल प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

- 2.3 सार्वजनिक/शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 2.4 संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 2.5 किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में, अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 2.6 होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिये ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा/होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों।

3. आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:-

समय सारिणी:-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	18.11.2025	17.12.2025
2	आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि	18.11.2025	17.12.2025
3	जमा किये गये शुल्क के समायोजन की तिथि	18.11.2025	20.12.2025

- 3.1 अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर (One Time Registration) कराना अनिवार्य होगा।
- 3.2 सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न होने पाये। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से सम्बन्धित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम/स्तर पर प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे।
- 3.3 जनपदवार विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको एवं अधिमानी अर्हताओं के अन्तर्गत प्राप्त अंको के योग के श्रेष्ठताक्रम के आधार पर किया जायेगा।
- 3.4 **आवेदन शुल्क:-**
इस एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा:-
- 1 सामान्य/ई0डब्लू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु-रु०-400/-
 - 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु -रु०-300/-
- 3.5 **राष्ट्रीयता:-**
एनरोलमेंट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

क. भारत का नागरिक हो, या

ख. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:—

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से एनरोलमेंट भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।

3.6 शैक्षिक अर्हता:—

- (क) होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाईस्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जायेगा।
- (ख) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी:— आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.7 अधिमानी अर्हतायें:—

- (1) अभ्यर्थियों को अधिमान (Preference) के अन्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक (यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें हैं, तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिये जायेंगे) दिया जायेगा:—

1— एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक	
“सी” प्रमाण पत्र धारक	03 अंक
“बी” प्रमाण पत्र धारक	02 अंक
“ए” प्रमाण पत्र धारक	01 अंक
2— भारत स्काउट एण्ड गाइड प्रमाण पत्र धारक	01 अंक

- (2) यू०पी०एस०डी०एम०ए० के तत्वाधान में आयोजित “आपदा मित्र प्रशिक्षण” प्रमाण-पत्र धारकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या-3.7(1) में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिये गये अंकों के साथ-साथ 03 अंक पृथक से प्रदान किये जायेंगे।

- (3) अभ्यर्थी द्वारा चार पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिये गये अंकों के साथ-साथ 01 अंक पृथक से प्रदान किया जायेगा।

3.8 आयु:—

होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-07-2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01-07-1995 से पूर्व तथा 01-07-2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ शासन द्वारा प्रवर्त नियमों/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। आयु के प्रमाण-पत्र के रूप में हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण ही मान्य होंगे।

इस सम्बन्ध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा की स्थिति तालिका के अनुसार निम्नवत होगी:—

क्र०सं०	श्रेणी	होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु (महिला/पुरुष)	
		कब से	कब तक
1	सामान्य/EWS श्रेणी	01.07.1995	01.07.2007
2	अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	01.07.1990	01.07.2007
3	अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	01.07.1990	01.07.2007
4	अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	01.07.1990	01.07.2007
5	उ०प्र० राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है	वास्तविक आयु-सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 33 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो)	

3.9 चरित्र:-

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।

3.10 एनरोलमेंट की प्रक्रिया:-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 60/2025/1780/पञ्चानबे-2025-08प्रकीर्ण/2012 दिनांक 03-11-2025 में निर्धारित "उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका" के अधीन किया जायेगा।

4. लिखित परीक्षा:-

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:-

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान	100	100 अंक	02 घण्टा

प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।

- लिखित परीक्षा में 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।
- किसी भी जनपद के अभ्यर्थियों की, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
- यह लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।
- लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

टिप्पणी-

- लिखित परीक्षा का समय 02 घण्टे (120 मिनट) होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा कुल अंक 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।
- लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो।

- 3) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्पों में से चयनित उत्तर के लिये ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर केवल एक गोले को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरा जायेगा। यदि किसी प्रश्न में एक विकल्प गोले को भरने के साथ-साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी प्रकार की मार्किंग/रेखा/धब्बा बना पाया जाता है, तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जायेगा। उत्तर बदलने हेतु व्हाइटनर/रबर/ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किये जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है।
- 4) यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाये जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिये निर्धारित अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 5) किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।
- 6) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- 7) लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- 8) लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 9) **किसी एक जनपद के** अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में, ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMALIZATION) की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी-एक-1(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 10) उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द "अंक" (अधिमानी अर्हता के अंक को छोड़कर) आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत "अंक" होगा।
- 11) अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें।

- 12) प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न/उत्तर विकल्प हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न/उत्तर विकल्प मान्य होगा।
- 13) लिखित परीक्षा के उपरान्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 2669(एमबी)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा :-

$$\text{सूत्र:-} \quad \frac{\text{सही उत्तर} \times \text{निर्धारित अंक}}{\text{सही प्रश्नों की संख्या}}$$

4.1 औपबंधिक श्रेष्ठता सूची:-

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर-3.7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए “उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड” द्वारा आहूत किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चत “उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड” द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।

5. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अर्हता के अंको के आधार पर जनपदवार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षक के लिए निम्नानुसार जनपदों में बोर्ड गठित किया जायेगा:-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1— | जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर | —अध्यक्ष |
| 2— | जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक | —सदस्य |
| 3— | जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी | —सदस्य |
| 4— | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्साधिकारी | —सदस्य |

5.1 अभिलेखों की संवीक्षा:-

- अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत

अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जायेगी।

- ii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के प्रवेश-पत्र यथासमय उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- iii. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा तथा अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की पुष्टि न होने पर इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थियों की पत्रावली में किया जायेगा तथा अधिमानी अर्हता के अंकों को अभ्यर्थी के अंकों से घटा दिया जायेगा।
- iv. संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात्, बोर्ड स्तर पर की जाने वाली पूर्ण चयन प्रक्रिया के मध्य किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थन उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

5.2 शारीरिक मानक परीक्षण:-

(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई:

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई:

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

- 5.3 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।
- 5.4 यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असन्तुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात् उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एनरोलमेंट हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
- 5.5 पूर्व की भर्तियों में मापी गयी ऊँचाई व सीना की माप इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में मान्य नहीं होगी। इस एनरोलमेंट के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में मान्य होगी।
- 5.6 किसी भी सरकारी/प्राइवेट संस्था से करायी गयी माप इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में मान्य नहीं होगी। इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में मान्य होगी।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

- i. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में जनपदवार सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

- ii. शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- iii. एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर ही उपस्थित हों। किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गयी अन्तिम तिथि के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- iv. शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के कोई अंक नहीं दिये जायेगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण “उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड” द्वारा किया जायेगा और उसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु “उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड” द्वारा आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जायेगा।
- v. शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- vi. शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- vii. शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान स्टेरायड्स/उत्तेजक/नशीला पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है, जिसकी पुष्टि हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आवश्यक जाँच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों का एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7. एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची:-

- i. जनपदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा के अंक, अधिमानी अर्हताओं के अंक एवं यू0पी0एस0डी0एम0ए0 द्वारा आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण/वाहन चालन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र धारकों को अनुमन्य अंको के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में श्रेणीवार/आरक्षणवार प्रत्येक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष एनरोलमेंट हेतु पृथक-पृथक उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जनपदवार तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित स्वास्थ्य परीक्षण/चरित्र सत्यापन, शैक्षिक/अधिमानी अर्हता एवं प्रमाण-पत्र सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन के अधीन कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड्स,

उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करेगा तथा इसे उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणी:-

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

- 1) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- 2) यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।
- ii. उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।
- iii. एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड्स द्वारा केन्द्रीय रूप से अथवा जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी तथा उसके उपरान्त ही सक्षम स्तर से एनरोलमेंट की कार्यवाही की जाएगी। अन्तिम रूप से एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी को जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स के स्तर से एनरोल किया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में उसे एनरोल नहीं किया जायेगा।

8. होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट हेतु आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट:-

- 8.1 लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों, को ही अनुमन्य होगा।
- 8.2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 के उपबन्धों और एनरोलमेंट के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- 8.3 उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत उ०प्र० लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 31-08-2020 के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 08 लाख रुपये से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को 10 प्रतिशत

आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577 /79-वि0-1-20-1(क)-4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण (E.W.S.) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा E.W.S. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत व दिनांक 01.04.2025 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य E.W.S. प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- 8.4 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

(क) लम्बवत् (Vertical) आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	प्रतिशत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
2	अनुसूचित जनजाति	02	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	अधिसूचना संख्या-1577 / 79 -वि०-1-20-1 (क)-4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020	—	EWS प्रमाण पत्र प्रारूप-4	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

क्र० सं०	समूह	प्रतिशत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	—	DFF का प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	3 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	सक्षम सैन्य अधिकारी/ यूनिट प्रभारी
3	महिला	20	शासनादेश सं० 18(1)/95-का-2/99 दिनांकित 26-02-99, शा०सं०18/1/99- का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शा०सं०- 39-रिट/का-2/2019, दिनांक: 26-06- 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।	—	—	—

टिप्पणी:—

- * भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो।

नोट:—

अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी की आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमन्यता है।

8.5 विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा/तिथि

क्र० सं०	आरक्षित श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण	प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि	
			किस तिथि से	किस तिथि तक
1	अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या- 13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	—	आवेदन की अन्तिम तिथि तक
2	अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र(प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या- 13/22/16/92/ टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	—	आवेदन की अन्तिम तिथि तक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या- 13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	वित्तीय वर्ष-2025-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 01-04-2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	01.04.2025	आवेदन की अन्तिम तिथि तक
4	ई0डब्लू0एस0 वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/ 2002/का-2/19टी,सी,-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुरूप होना चाहिए)	वित्तीय वर्ष-2024-25 तक का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 01-04-2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	01.04.2025	आवेदन की अन्तिम तिथि तक

5	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप होना चाहिए)	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	—	आवेदन की अन्तिम तिथि तक
6	मूल निवास प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	—	आवेदन की अन्तिम तिथि तक

8.6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित:—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

- I. जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
- II. जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, या
- III. जिसमें कम से कम दस बेंतों का दण्ड भोगा हो, या
- IV. जो गोली से घायल हुआ हो, या
- V. जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
- VI. जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या
- VII. जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
- VIII. जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या
- IX. जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

8.7 भूतपूर्व सैनिक:—

“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—

- i. अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या
- ii. चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

- iii. जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या
- iv. विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:—
 - (1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
 - (2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
 - (3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

टिप्पणी:—

- 1) आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।
(नोट:— अभ्यर्थी को आवेदन की अन्तिम तिथि तक “भूतपूर्व सैनिक” होना अनिवार्य है।)
- 2) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।
- 3) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 4) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।
- 5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-2) (उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं हेतु मान्य) 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद का किन्तु इस एनरोलमेंट हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। केन्द्र सरकार की सेवाओं हेतु मान्य उक्त जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उक्त जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- 6) उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप-4 (प्रपत्र-1 व 1।) परिशिष्ट-2 पर है।

आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- 7) महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 8) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 9) लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में अभ्यर्थी जिस जनपद का मूल निवासी है उस जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जनपद का मूल निवासी होने सम्बन्धी मूल निवास प्रमाण-पत्र अथवा डोमीसाइल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।
- 10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र अभिलेखों की संवीक्षा के समय प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए इनरोलमेंट प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 11) यदि लम्बवत् (Vertical) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा-आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
- 12) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

13) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

9. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:—

- 9.1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना ओटीआर पर पंजीकरण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन-पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरान्त ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे।
- 9.2 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। तत्पश्चात ही वह अभ्यर्थी UPPRPB (उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड) द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र को भर पायेगा।
- 9.3 परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अभ्यर्थी की पहचान आदि के सत्यापन हेतु आधार आधारित ओटीपी (Authentication) प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जायेगा। एनरोलमेंट प्रक्रिया के आवेदन से लेकर विभिन्न चरणों में किसी भी असुविधा से बचने हेतु सभी अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड डेटा एवं उसमें पंजीकृत मोबाइल नम्बर अवश्य अपडेट करा ले। अपडेट कराने सम्बन्धी सूचना <https://bhuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/> पर प्राप्त की जा सकती है।
- 9.4 सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
- 9.5 **OTR (One Time Registration) में पंजीकरण**
- i. अभ्यर्थियों हेतु OTR में पंजीकरण करने हेतु सभी चरण अनिवार्य हैं।
 - ii. सर्वप्रथम अभ्यर्थी उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट [https://uppbpb.gov.in/ Home/ Notice](https://uppbpb.gov.in/Home/Notice) पर जाकर, "आवेदन हेतु LINK" के लिंक पर क्लिक करें।
 - iii. आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना OTR पंजीकरण करना आवश्यक है।
 - iv. प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है –
 - a. Unique Email Id
 - b. Unique Mobile NumberOTR हेतु प्रयुक्त Email Id एवं Mobile number अपरिवर्तनीय होंगे।
 - v. सत्यापन हेतु – Digi-Locker Account
 - vi. सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा।
 - vii. पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा एवं Captcha के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा।

9.6 एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन:-

- i. एक बार पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर, अपने पंजीकरण विवरण (login ID & credentials) से लॉगिन कर "उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025" हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी लॉगिन निम्न माध्यम से कर सकता है –
 - a. Account ID/ Password अथवा
 - b. आधार अथवा
 - c. DigiLocker
 - ii. अभ्यर्थी नियमावली/विज्ञप्ति का अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को भरें।
 - iii. अभ्यर्थी यदि अपूर्ण/दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त आवेदन पत्र भरते हैं तो उस दशा में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
 - iv. आवेदन पत्र भरने के उपरांत अभ्यर्थी को भुगतान करना होगा। (विज्ञप्ति बिन्दु संख्या 9.9)
 - v. पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि भरे हुये आवेदन पत्र का एक बार अवलोकन अवश्य कर लें (अर्थात आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने हेतु "Preview" अवश्य कर लें एवं उसकी एक प्रति प्रिन्ट कर लें, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को सुविधा होगी)।
- Note— अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार का पंजीकरण एवं आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार होगा)

9.7 फोटोग्राफ:-

- i. आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की Real time (लाइव) फोटोग्राफ ली जायेगी।
Real time फोटोग्राफ की शर्तें –
 - a. Real Time फोटोग्राफ हेतु web camera / अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान Real Time फोटोग्राफ ले सके।
 - b. Real Time फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहन कर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं होगी।
 - c. Real Time फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए (अर्थात मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए)
 - d. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आँखों पर चश्मा धारण किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि Real Time फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब/रोशनी न पड़े अर्थात अभ्यर्थी की आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए
 - e. Real Time फोटोग्राफ ब्लर(धुंधली) नहीं होनी चाहिए।
 - f. Real Time फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए।

- g. Real Time फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। (धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा)
- h. लिखित परीक्षा सहित एनरोलमेंट प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे एनरोलमेंट प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- i. यदि अभ्यर्थी की Real Time फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा।
- j. यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तथा किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है, तो उसे आवेदन पत्र में निर्धारित स्व घोषणा पत्र भरना होगा।

9.8 हस्ताक्षर:—

- i. आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा।
हस्ताक्षर अपलोड करने की शर्तें –
 - 1. आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से 50mm X 20mm आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा।
 - 2. हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं।
 - 3. हस्ताक्षर की छवि JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
 - 4. हस्ताक्षर का आकार 50mm X 20mm या 140 X 60 पिक्सल होना चाहिए।
 - 5. फाइल का साइज 30KB से 50KB के बीच होना चाहिए।
 - 6. हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं।

9.9 ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान:—

- i. आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट (Submit) करें और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग/यू0पी0आई0 का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त, अगर कोई व्यय/शुल्क है, तो उसे भी अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- ii. ऑनलाइन आवेदन शुल्क के सफलता पूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिन्ट करते ही Submit हो जायेगा। यदि अभ्यर्थी अन्तिम रूप से Submit नहीं करता है तो अन्तिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः Submit हो जायेगा।
- iii. शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे

निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

9.10 शैक्षिक एवं आरक्षण से सम्बन्धित तथा अन्य प्रमाण-पत्रों की अपलोडिंग (Digilocker) के माध्यम से अपलोड करना

- I. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले शैक्षिक, आरक्षण सम्बन्धी, आयु में छूट सम्बन्धी, मूल निवास सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रमाण-पत्र, जो कि डीजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डीजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें।
- II. जो प्रमाण-पत्र डीजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें।

9.11 आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- i. अभ्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अन्तिम सबमिट (Submit) किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा।
- ii. अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
- iii. ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास यथा लागू समस्त अपेक्षित शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र होने आवश्यक है। अभ्यर्थियों को उक्त अभिलेख/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- iv. यदि 10वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे।
- v. अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के सापेक्ष ही संवीक्षा की कार्यवाही की जायेगी। अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के इतर अन्य अभिलेखों/प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- vi. आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई प्रमाण पत्र/अभिलेख स्वीकार नहीं होगा।
- vii. आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर पायेंगे।

10. एनरोलमेंट से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- i. जनपदवार विज्ञापित पदों पर की जा रही इस एनरोलमेंट की कार्यवाही में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों/शासनादेशों में

- निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- ii. परीक्षा के समस्त चरणों में छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) नियंत्रण हेतु अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक्स के दौरान PHOTO, FINGER PRINT/IRIS लिया जायेगा एवं आधार आधारित e-KYC की जायेगी।
 - iii. चयन प्रक्रिया के मध्य किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा एनरोलमेंट में चयन के सम्बन्ध में सिफारिश कराने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होगा। किसी छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) करने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने या उसमें लिप्त पाये जाने पर उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसमें परीक्षा का परिणाम रोकने और उस कलेण्डर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कलेण्डर वर्ष के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित करने का भी प्रावधान है तथा ऐसे कृत्यों में सम्मिलित होने के लिए जिनमें इस अधिनियम में अन्य दण्ड का प्रावधान है नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी प्रचलित की जा सकेगी।
 - iv. एनरोलमेंट हेतु चयनोपरान्त यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स द्वारा उसके एनरोलमेंट को निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
 - v. उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उसके द्वारा आवेदन जमा करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
 - vi. उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट को देखते रहें।
 - vii. उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उसे तभी आवेदन करना चाहिए जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

viii. इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक् से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

ix. यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 व अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अधिनियमों/शासनादेशों के उपबन्धों और एनरोलमेंट के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

11. हेल्प लाइन

आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हेल्प लाइन नम्बर-18009110005 जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक क्रियाशील रहेगा।

12. उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, एनरोलमेंट के चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

18/11/20
अपर सचिव (भर्ती)

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान	100	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	02 घण्टा

(प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।)

सामान्य ज्ञान General knowledge

सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उ०प्र० के प्राकृतिक संसाधन, उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ०प्र० में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ, उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानी/मुद्रायें, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उ०प्र० शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएँ (Natural Phenomenon), महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह।

General knowledge

General knowledge, General science, Indian history, Indian constitution, Indian economy, Indian culture, Indian agriculture, Commerce and Trade, Population, Environment and urbanization, Geography of India, Natural resources of UP, Specific Information regarding Education, culture and Social Traditions, Important Fair and festivals organized in UP, Sports prizes and achievements, Revenue, Police and General Administration in UP, Human Rights, Internal Security and Terrorism, Relation between India and Neighbouring Countries, Contemporary issues of National and international importance, National and International organizations, Prizes and Recognition, Countries / Capitals / Currencies, Important Days, Invention and Discoveries, Books and their Writers, Social Media Communication, Welfare and Public oriented schemes of UP Govt., Women Empowerment, Self Reliance and Industrial Development Initiative, Natural Phenomenon, Important Summits.

प्रारूप-1उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी -----
 -----सुपुत्र/सुपुत्री/श्री-----निवासी.ग्राम-----तहसील-----
 -----नगर-----जिला-----उत्तर प्रदेश राज्य
 की-----जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-
 समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी-----तथा अथवा
 उनका परिवार उत्तर
 प्रदेशके-----ग्राम-----तहसील-----नगर-----जिला-----
 -----में सामान्यतया रहता है।

स्थान-----

दिनांक-----

मुहर-----

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम -----

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी.ग्राम.....तहसील.....
नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य
 की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
 उत्तर प्रदेश के
 ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
 सामान्यतः रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप-3उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्रप्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----निवासी
 ग्राम-----तहसील-----नगर-----जिला-----
 -----'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
 सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी
 (आश्रित)-----पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री)
 (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती
 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)-----के आश्रित हैं।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पद नाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी(सील)

प्रारूप-4

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति
प्रमाण- पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष.....के लिये मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी

.....ग्राम/कस्बा

.....पोस्ट

ऑफिस.....थाना.....तहसील.....

.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....के

स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 05 (पॉंच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारीजाति.....के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज.
का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट

/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्रस्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नीग्राम/कस्बा
.....पोस्ट

ऑफिस.....थाना.....ब्लाक.....

.....तहसील.....जिला.....राज्य

.....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु0 (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती है।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

- I. 05 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :-.....

दिनांक :-.....



संख्या-60/2025/1780/पन्चानबे-2025-08प्रकीर्ण/2012

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

होमगाइर्स अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 03-11-2025

विषय- होमगाइर्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-763/हो0स्व0-509/2024, दिनांक 24.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगाइर्स स्वयंसेवकों की रिक्रियों को भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त होमगाइर्स स्वयंसेवकों को एनरोल किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

"उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका"

1- प्रदेश के समस्त जनपदों के होम गाइर्स के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा की जायेगी।

भाग-1

2- एनरोलमेंट हेतु रिक्रियों की अवधारणा

होमगाइर्स स्वयंसेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्रियों के सापेक्ष होमगाइर्स विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन के अनुसार किया जायेगा।

"एनरोलमेंट का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है। "एनरोलमेंट के वर्ष" की 01 जुलाई को जनपदीय इकाईयों में विद्यमान रिक्रियों की अवधारणा की जायेगी। जनपदवार रिक्रियों की अवधारणा जिला कमाण्डेंट द्वारा की जायेगी।

जिला कमाण्डेंट होमगाइर्स, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्रियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्रियों की संख्या अवधारित करते हुए उसकी सूचना कमाण्डेंट जनरल, होमगाइर्स को उपलब्ध करायेंगे। रिक्रियों को अवधारित करते समय पुरुष तथा महिला के लिए रिक्रियों की अलग-अलग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, जिन पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://sh.janadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या स्पष्ट की जायेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार की जायेगी।

होमगार्ड्स एनरोलमेन्ट के संबंध में महासमादेष्टा, होमगार्ड्स द्वारा जनपदवार रिक्तियों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद संकलित कर निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात अपेक्षित/निर्धारित अर्हताओं सहित होमगार्ड्स के एनरोलमेन्ट हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों पर एनरोलमेन्ट हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

3- पात्रता

(क) शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(ख) होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेन्ट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो।

(ग) सार्वजनिक/शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट हेतु पात्र नहीं होंगे।

(घ) संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(च) किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में, अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(छ) होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा/होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों।

4- इयूटी भत्ता

होमगार्ड्स को काम के लिये बुलाये जाने पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित इयूटी भत्ता दिया जायेगा।

5- आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये लम्बवत आरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, एनरोलमेन्ट के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण प्राविधानों/आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण की गणना जनपद स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जायेगी तथा गणना में दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जायेगा, केवल पूर्ण अंकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaidesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- शैक्षिक योग्यता का निर्धारण

(क) होमगाइडर्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाईस्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जायेगा।

(ख) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

7- अधिमानी अर्हतायें

7(1) अभ्यर्थियों को अधिमान (Preference) के अन्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक (यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें हैं, तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिये जायेंगे) दिया जायेगा:-

1- एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक	
"सी" प्रमाण पत्र धारक	03 अंक
"बी" प्रमाण पत्र धारक	02 अंक
"ए" प्रमाण पत्र धारक	01 अंक
2- भारत स्काउट एण्ड गाइड प्रमाण पत्र धारक	01 अंक

7(2) यू०पी०एस०डी०एम०ए० के तत्वाधान में आयोजित "आपदा मित्र प्रशिक्षण" प्रमाण-पत्र धारकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या-07(1) में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिये गये अंकों के साथ-साथ 03 अंक पृथक से प्रदान किये जायेंगे।

7(3) अभ्यर्थी द्वारा चार पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिये गये अंकों के साथ-साथ 01 अंक पृथक से प्रदान किया जायेगा।

8- आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना "एनरोलमेंट के वर्ष" की 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जायेगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ शासन द्वारा प्रवर्त नियमों/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक (उ0प्र0 लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत यथा परिभाषित) श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो।

अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमन्यता है।

09- आवेदन शुल्क

होमगार्ड्स स्वयंसेवक के एनरोलमेन्ट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से विचार-विमर्श करने के पश्चात "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

भाग-2

10- आवेदन पत्र

आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप तथा उसमें निहित शर्तों का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

11- परीक्षा

अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे:-

(a)- लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जायेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 02 घण्टे की होगी। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का विनिश्चय "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

(b) औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर-7 में अंकित अधिमान्नी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा आहूत किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(c)- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अर्हता के अंकों के आधार पर औपबधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को अभिलेखों की परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा, जिसे यथा समय वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए निम्नानुसार जनपदों में बोर्ड गठित किया जाएगा।

- | | |
|--|----------|
| I. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर | -अध्यक्ष |
| II. जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक | -सदस्य |
| III. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी | -सदस्य |
| IV. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्साधिकारी | -सदस्य |

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा तथा अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की पुष्टि न होने पर इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थियों की पत्रावली में किया जाएगा तथा अधिमानी अर्हता के अंकों को अभ्यर्थी के अंकों से "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा घटा दिया जाएगा।

शारीरिक मानक:-

पुरुष अभ्यर्थी		
मानक	सामान्य अभ्यर्थी/ अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी
ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी०	न्यूनतम 160 सेमी०
सीना बिना फुलाये	न्यूनतम 79 सेमी०	न्यूनतम 77 सेमी०
सीना फुलाने पर	न्यूनतम 84 सेमी०	न्यूनतम 82 सेमी०
महिला अभ्यर्थी		
ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी०	न्यूनतम 147 सेमी०
वजन	न्यूनतम 40 कि०ग्रा०	न्यूनतम 40 कि०ग्रा०

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा यथा समय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(d)- शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के कोई

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अंक नहीं दिये जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा और उसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरे करनी आवश्यक होगी।

जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वह एनरोलमेन्ट के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

12- एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची

(A) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों में अधिमानी अर्हताओं एवं यू०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण/वाहन चालन से संबंधित प्रमाण पत्र धारकों को अनुमन्य अंकों को जोड़ते हुए श्रेष्ठता क्रम में श्रेणीवार/आरक्षणवार प्रत्येक जनपद के अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक चयन सूची जनपदवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ii) यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

(B)- प्रतीक्षा सूची

होमगार्ड्स एनरोलमेन्ट हेतु कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

13- उपरोक्तानुसार जिलावार एनरोलमेन्ट सूची तैयार करने के बाद उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड्स को प्रेषित की जाएगी।

भाग -3

एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड्स द्वारा केन्द्रीय रूप से अथवा जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स के माध्यम से संपन्न करायी जाएगी तथा उसके उपरान्त ही सक्षम स्तर से एनरोलमेन्ट की कार्यवाही की जाएगी।

14- स्वास्थ्य परीक्षण

अंतिम रूप से एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर तब तक एनरोल नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

नोट- चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा, जिसमें नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं अंशकालिक), श्रवण परीक्षण जिसमें रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट होंगे, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा, का भी परीक्षण किया जायेगा।

15- चरित्र सत्यापन

अन्तिम रूप से एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का जिला कमाण्डेन्ट होमगाइर्स द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में एनरोलमेन्ट हेतु अभ्यर्थी को जिला कमाण्डेन्ट होमगाइर्स के स्तर से एनरोल किया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में उसे एनरोल नहीं किया जायेगा।”

3- कृपया उपर्युक्त उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेन्ट मार्गदर्शिका में उल्लिखित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2025/1780(1)/पन्चानवे-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) अध्यक्ष, उओप्रओ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त उपमहासमादेष्टा, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasana.nadash.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।